REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2021

भारतीय ग्रामीण जीवन में राजनैतिक सक्रियता

डॉ .एस.एन.मिश्र
Email id- shambhunathmishra678@gmail.com

परिवर्तन समाज की प्रकृति है। मानव इतिहास में आज तक ऐसे किसी समाज का परिचय नही लेता है जो एक निश्चित सामाजिक ढाँचे को स्थिर रख सका हो। भौतिक पदार्थों और अन्य प्राकृतिक रचनाओं में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है फिर समाज तो मानव कृत संस्कृति की विविधता से ओत प्रोत है अतः परिवर्तन होते रहना स्वाभाविक ही है।

भारत में ग्रामीण शक्ति संरचना एवं नेतृत्व के अध्ययन में समाज वैज्ञानिकों की अत्यधिक रूचि रही है। धार्मिक पुस्तकों एवं इतिहासकारों ने आदि कालीन भारत के गाँवों की राजनैतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। वैदिक समिति राजा का चुनाव करती थी, जबकि सभा न्याय दान करती थी। आलटेकर और पुरी ने ग्रामीण राजनैतिक व्यवस्था का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है, बल्लभ, चालुक्य , राष्ट्रकूट और यादव राजाओं के समय गाँव राज्य की एक प्रमुख इकाई के रूप में जाने जाते थे। समुदाय प्रजातंत्रात्मक न होकर आंशिक रूप से राजतंत्रात्मक था जिसमें गॉव राज्य के अंग थे। मौर्य काल में गॉव पंचायत और गॉव परिषद के न्यायिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। हेनरी मैन ने भी भारतीय गाँव में वयोवृद्ध लोगों की परिषद एवं मुखियाओं की उपस्थिति का उल्लेख किया है। जो वैदिक युग से समाज में स्थापित थे। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् ।। ऋग्वेद । आस्कर लेविस एवं उनके साथी ढिल्लन ने कमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में गुटों एवं नेतृत्व क्षमता का अध्ययन किया था। योगेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के छः गांवों में शक्ति संरचना का अध्ययन किया है। श्री निवास ने ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिमानों की अध्ययन पद्धति में प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा को महत्व दिया है जबकि दुबे नें प्रभु जाति के स्थान पर कुछ व्यक्तियों तक ही नेतृत्व को सीमित माना है। चन्द्र प्रभात भारतीय ग्रामीण परम्परात्मक नेतृत्व के पक्ष धर है। दुबे भारत में नेतृत्व के शोध उपागमों का वर्णन करते हैं। 1962 में रॉची में जन जाति एवं ग्रामीण नेतृत्व पर हुए सेमिनार में पढ़े गये पत्रों के आधार पर विद्यार्थी ने 'लीडरशिप इन इण्डिया 'नामक पुस्तक सम्पादित की है जो ग्रामीण एवं जनजातीय नेतृत्व के अध्ययन का एक अच्छा व्यौरा प्रस्तुत करती है।

1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर नयी पंचायत व्यवस्था को लागू किया था जो एक साहसिक कदम था। इस पंचायत व्यवस्था ने गाँव में एक नयी शक्ति संरचना को जन्म दिया। जबकि 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भी कानून बनाकर गाँव पंचायतों में अधिकारियों को मनोनीत करने की व्यवस्था की थी किन्तु उस व्यवस्था में जमींदारों का वर्चस्व होने के कारण पंचायतों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ सका था। 1948 के कानून ने कई कान्तिकारी विचारों एवं चलनों का शुभारम्भ किया। इस कानून के "द्वारा प्रत्येक युवा शक्ति को मताधिकार दिया गया , हाथ खड़े करके चुनाव कराये जाने लगे। स्त्रियों को पहली बार गाँव की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने का अधिकार दिया गया। गाँव पंचायत की कार्यवाही का लिखित रिकार्ड रखा जाने लगा और इसका सम्बन्ध राज्य की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था से तथा लगान को प्रशासन से जोड़ दिया गया। इस प्रकार पहली बार गाँव के अधिकारियों को सैद्धान्तिक व कानूनी रूप से आर्थिक स्थिति एवं जाति से अलग कर दिया गया।

जमींदारी उन्मूलन के कानून ने ग्रामीण प्रजातंत्र को तीव्र गति प्रदान की। भूमि में मध्यस्थ अधिकारियों की सत्ता समाप्ति से पुराने कास्तकारों के परिवारों का आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्र में जमींदारों के आधिपत्य से मुक्ति मिली। नम्बरदार एवं मुखिया के पदों को समाप्त कर दिया गया। जो बाग-बगीचे,तालाब,चारागाह आदि की भूमि जमींदारों के अधिकार में थी उसे गॉव की सामूहिक सम्पत्ति घोषित कर दिया गया और उस पर नयी चुनी हुयी पंचायत को अधिकार एवं प्रशासन सौंप दिया गया। गॉव का चौकीदार जमींदार के स्थान पर चुनी हुई पंचायत के अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। यही व्यवस्था कालक्रम में व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने में प्रेरणादायी साबित हुई। व्यक्ति की राजनैतिक चेतना एवं रूझान बढ़ी व राजनीति जीवन का आवश्यक अंग समझी जाने लगी। कालान्तर में विभिन्न राजनैतिक विचार उभर कर सामने आये जिसने अनेक राजनैतिक दलों को जन्म दिया। अपने-अपने राजनैतिक विचारों को समाज में सबसे उपयोगी साबित करने की प्रतिस्पर्धा सी मच गयी। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राजनैतिक दल की विचारधारा से प्रभावित महसूस होने लगा और मनचाहे दल का सदस्य बन गया। किन्तु ग्रामीण जन का एक बड़ा भाग राजनैतिक सक्रियता को अनुचित अथवा अनावश्यक भी मानता रहा है। वह किसी राजनैतिक दल की सदस्यता के प्रति प्रायः उदासीन भाव ही रखता रहा है।

किसी व्यक्ति का विशेष राजनैतिक दल के प्रति लगाव का कारण विभिन्न हो सकता है जैसे – राजनैतिक दल की नीतियों में विश्वास होना , उस दल के नेता का सजातीय होना उससे घनिष्ठ सम्बन्ध होना , राजनैतिक दल की कार्यप्रणाली से लगाव होना ,उस दल का गॉव में प्रभाव आदि सदस्यता का आधार हो सकता है। किन्तु अधिकांश ग्रामीण जन ऐसे भी होते हैजो उपरोक्त प्रवृत्तियों को या तो नकार देते हैं या तो प्रायः उदासीन रहते हैं। जो लोग राजनैतिक अभिरूचि रखते हैं वे राजनैतिक सक्रियता बनाये रखते हैं। राजनैतिक रूझान प्रायः नेतृत्व कर्ता की क्षमता पर भी निर्भर करती है। जे0 बी0 चिताम्बर " लोगों को प्रभावित करने की शक्ति की तुलना समुद्र की धाराओं से करते हैं जो समय-समय पर ग्रामीण व शहरी समुद्र रूपी पानी को एक अथवा दूसरी दिशा में घूमाती रहती है। " यह शक्ति नेतृत्व में अथवा उन लोंगों के समूह में होती है जो शक्ति धारण करते हैं और वे अपने शक्तिशाली प्रभाव का उपयोग लोगों को दिशा प्रदान करने में करते हैं। यह आवश्यक नही कि रैलियों में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय राजनीति से ही जुड़ा हो। इसके विभिन्न कारण भी हो सकते हैं जैस - विचारगत सम्बंधता , अस्थानीय नेता का दबाव , नेताओं से परिचय , आर्थिक कारण , शहर घूमने की जिज्ञासा अथवा ग्रामीण एकरसता भंग आदि। विचारगत सम्बधता

व्यक्ति को नैतिक रूप से भाग लेने को मजबूर करती है जबकि शेष कारण व्यक्ति की इच्छाओं से जुड़े हैं। सक्रिय राजनीति से जुड़े लोग प्रत्येक आन्दोलन अथवा धरने में भाग लेते हैं कुछ व्यक्ति धरने अथवा आन्दोलन के महत्व पर विचार कर आत्मा की आवाज पर भाग लेते हैं। यही भाव व्यक्ति की राजनैतिक सक्रियता का निर्धारण करते हैं। विभिन्न पृष्ठ भूमि के व्यक्ति विभिन्न सीमा तक राजनैतिक सक्रियता को उचित मानते हैं जैसे – कुछ लोग केवल वोट देने तक ही अपने को सीमित रखते हैं शेष क्रिया कलापों से उनका सरोकार नहीं होता।

पिछले लगभग ढाई दशक से लोगों का रूझान राजनीति में अधिक बढ़ा है ग्रामीण नेतृत्व जहाँ कभी परम्परागत हुआ करता था , ग्रामीण शक्ति उच्च जातियों के हाथों तक केन्द्रित थी, मंडल कमीशन की रिर्पोट व चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण निम्न जातियों की भी राजनीति में रूझान बढ़ी है। 1993 में भारतीय संविधान में जो 73 वां संवैधानिक संशोधन किया गया , मूल भूत रूप से उसे दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकारों को अपने - अपने राज्य के लिए पंचायती राज्य की व्यवस्था करना है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह व्यवस्था उ0 प्र0 पंचायत विधि अधिनियम 1994 के आधार पर की गयी है। पंचायतीराज योजना के माध्यम से राजनीतिक सत्ता को निचले स्तर तक हस्तान्तरित किया गया। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत स्वयं जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अस्थानीय प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सौंपने की व्यवस्था की गयी। परिणाम स्वरूप लोगों में राजनैतिक पद की आकांक्षा , आर्थिक समृद्धि का सरल उपाय , ग्रामीण नेतृत्व की चाह अथवा एम० एल0 ए0, एम0 पी0 बनने की इच्छा जागृत हुई जो निचले स्तर पर लोगों को राजनीति में प्रवेश के लिए प्रेरित करती है।

सन्दर्भ सूची

1. State & Govt. in Ancient India
2. Group Dynamics in a North Indian Village,
3. Leadership and Group in a South Indian Village.
4. Changing Power Structure of Village Community, A Case study of Sex Villages in Eastern U.P., in Rural Sociology in India;
5. Srinivas M.N.: The Dominant Caste of Rampura,